# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

**राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 36 / 2020 / बाड़मेर**

**अपीलांट** **रेस्पोडेंटगण**

1. केसराराम पुत्र भोजाराम का.मु. बनाम 1.जीयाराम पुत्र भोजाराम

1/1सांगाराम पुत्र केसराराम जाति जाट निवासी ऊंचावड़ा (काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर

2.धन्नाराम पुत्र भोजाराम जाति जाट निवासी ऊंचावड़ा(काश्मीर) तहसील शिव जिला बाड़मेर

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 20 / 2017 बअनवान केसराराम बनाम जीयाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.05.2017 के विरूद्ध पेश हुई ।**

**उपस्थित**

1. वकील श्री चेतनराम सारण अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः— 16.08.2022**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 554 / 455 रकबा 33.18 बीघा मौजा ऊचावडा पटवार क्षेत्र काश्मीर तहसील शिव में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ विप्रार्थीगण का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 455 रकबा 26.04 प्रार्थी के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। प्रार्थी को सड़क तक पहुंचने के लिये विप्रार्थीगण के उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में विप्रार्थीगण अपनी अन्य भूमि के साथ साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है, जिससे प्रार्थी का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया, जिस पर उतरदाता ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर 25.05.2017 को जबाव पेश किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को हम विप्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 555 / 455 मौजा उंचावडा तक बढाया जावें जिसकी क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने बाबत वचनबद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विप्रार्थीगण को प्रार्थी के खसरे रास्ते हेतु उपयोग ली गई भूमि की क्षतिपूर्ति जमा करवाने हेतु आदेश पारित नहीं कर भारी भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व उतरदाता दोनों पक्षों ने एक दूसरे के रास्ते हेतु उपयोग में ली जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति अदा कर रास्ता प्राप्त करने हेतु सहमति प्रदान की गई थी जो तहसीलदार की मौका रिपोर्ट में मौका फर्द व नक्शा मौका से भलीभांति प्रमाणित है तथा विप्रार्थीगण स्वयं ने जबाव में प्रार्थी के खेत में से रास्ते आगे बढाने पर प्रार्थी को क्षतिपूर्ति अदा करने हेतु पाबंद किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र प्रार्थी अकेले को ही क्षतिपूर्ति जमा करवाने का आदेश जारी किया जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते में विप्रार्थीगण की मात्र 04 बिस्वा भूमि उपयोग में हुई जबकि विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते के रूप में प्रार्थी की 12 बिस्वा भूमि उपयोग में आई तथा प्रार्थी ने न्यायालय के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि जमा करवा दी गई परन्तु विप्रार्थीगण के विरूद्ध क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने का कोई आदेश न होने के कारण विप्रार्थीगण ने कोई राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई। तहसीलदार शिव द्वारा विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि बाबत क्षतिपूर्ति राशि राजकोष में जमा करवाये बिना ही प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 554/455 रकबा 33.03 बीघा में से रास्ते के रूप में नये खसरा नम्बर 1204/554 रकबा 12 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर दिये है जो किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं है तथा प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य बनी सहमति के विरूद्ध जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया। अपीलांट की खातेदारी भूमि में से जो भूमि रास्ते के रूप में 12 बिस्वा भूमि कम की गई उसकी क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे तो अपीलांट को कोई आपति नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंटस की आराजी में पहुंचने के लिए अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 12 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की गई। अपीलांट की खातेदारी भूमि में जाने के लिए हम रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि में से 04 बिस्वा भूमि कम की गई। रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि में से 04 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रस्तावित की गई उसके अलावा शेष 08 बिस्वा भूमि की क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु हम रेस्पोडेंटस सहमत है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उभयपक्षकारान के मध्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति को लेकर विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा अपीलाधीन आदेश से रास्ता उभयपकारान की क्षतिपूर्ति राशि को लेकर सहमति के अनुसार सही निर्धारण नहीं किया गया। रेस्पोडेंटस ने हाजा न्यायालय के समक्ष ववत्त बहस क्षतिपूर्ति राशि जमा करवाने हेतु सहमति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से प्रस्तावित रास्ते में कुल 16 बिस्वा भूमि आ रही है जिसमें से रेस्पोडेंट के खसरा संख्या 455 में 04 बिस्वा तथा खसरा संख्या 554/455 में 12 बिस्वा भूमि को रास्ते के रूप में प्रस्तावित किया गया। खसरा संख्या 455 में से प्रस्तावित भूमि को घटाने के बाद कुल 08 बिस्वा भूमि की क्षति पूर्ति राशि जमा करवाना शेष रहा है। प्रभावित खसरों की डी.एल.सी दर 15630 रूपये है। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रभावित खातेदारान को डी.एल. सी दर की दुगुनी दर से क्षतिपूर्ति स्वीकृत की गई जिसमें से अंतर की राशि 12504 रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु रेस्पोडेंटस को आदेशित किया जाता है। उपरोक्त राशि जमा होने के पश्चात मौका फर्द के संलग्न नक्शे में बरंग लाल दर्शाये अनुसार भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर तदनुसार तरमीम करे। तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि हाजा न्यायालय के आदेश की पालना कर पालना से अवगत करे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर